4-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP
Crll

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

.... बनाम ....

मुकदमा .... नं० .... सन् ....

नम्बर व तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	19/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 27/9/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
	27/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 18/10/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
	18/10/24 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप० पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी जिरह प्रतिवादी वकील दिनांक 22/11/24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
	22/11/24 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप० पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी जिरह प्रतिवादी वकील दिनांक 6/12/24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
	6/12/24 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप० प्रकरण मे वादी प्रतिवादी वकील द्वारा साक्ष्य जिरह नही कर	6/12/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सीधे बहस करनी चाही। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं वादपत्र, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा एवं प्रतिवादीगण वकील द्वारा बहस में वादीगण की भूमि खाता सं-51 की हद तक वाद को अंतिम डिक्री किये जाने बाबत सहमति प्रकट करने के आधार पर वादीगण वाद दावा स्थायी निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–190 / 2023
प्रकरण दायर दिनांकः– 30.11.2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 06.12.2024

उनवान– 1. भोलासिंह
2. राजेश — पुत्रान देवनारायण
3. विमला
4. बादाम — पुत्रिया देवनारायण
5. रसाल
6. भगवती पुत्रीयान देवनारायण
7. मु. कमली देवी पत्नि देवनारायण
8. भगवानसहाय पुत्र जयनारायण
9. रूपन्ता पत्नि भगवानसहाय
10. रामेश्वर पुत्र जयनारायण
11.सुखबाई पत्नि जयनारायण
समस्त जाति गुर्जर निवासी नांगवास तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. अर्जुन पुत्र भरत्या
2. गंगाबिशन पुत्र ईसरा
3. रामकिशन पुत्र भौरया
4. विजयसिंह पुत्र मेवाराम
5. हाकिम सिंह पुत्र मेवाराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी नांगवास तहसील बॉदीकुई जिला दौसा
6. हुकमचन्द अग्रवाल पुत्र किशोरीलाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी मकान नं. 03 लक्ष्मीनारायण मंदिर परिसर, लक्ष्मीनारायण पुरी कॉलोनी जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बॉदीकुई तहसील बॉदीकुई जिला दौसा (राज.)।

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं.–190 / 2023 सन्–2023

निर्णय दिनांकः 06.12.2024

वादीगण द्वारा वाद पत्र दावा स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम नांगवास तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि काश्त खाता सं. नया 51 पुराना 43 के खसरा नं. 111 लगायत 120, 123, 124, 125, 128 लगायत 133 कुल किता 19 कुल रकबा 3.85 हैक्ट. स्थित है। जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार हैं तथा काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। ग्राम नांगवास तहसील बॉदीकुई जिला

Scanned with OKEN Scanner

दौसा में स्थित भूमि खाता सं. नया 96 पुराना 81 के खसरा नं. 121, 122, 126, 127 के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादीगण की उपरोक्त भूमि के लगते हुए वादीगण की भूमि खसरा नं. 120, 123, 124, 125 भूमि स्थित है तथा उक्त वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि के मध्य सैंकडों वर्षों से वादीगण के बुजुर्गान के समय से खाम डोल बनी हुई है जो धीरे–धीरे बीमार हो गयी है तथा सीमाचिन्ह डोल के ट्रैक्टरो की जुताई से नष्ट हो गये हैं जिससे उक्त सीमाओं को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य फसल बोते समय व काटते समय विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से अनेकों बार अपनी–अपनी भूमि का सहमति से सीमाज्ञान कराकर सीमाचिन्ह अंकित करने हेतु कहते आ रहे हैं। किन्तु प्रतिवादीगण टालते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो येन केन प्रकारेन वादीगण को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। वादीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन घुस कर कब्जा करने की धमकी देने से, प्लाटिंग कर निर्माण करने से, मारपीट करने पर आमादा होने से व भूमि को किसी दीगर शख्स को बेचान करने की एलानिया धमकी देने से अंदर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुई है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण वरखिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री पारित फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबंधित किया जावे कि वे भूमि मुतदाविया ग्राम नांगवास तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि काश्त खाता सं. नया 51 पुराना 43 के खसरा नं. 120, 123, 124, 125 जो प्रतिवादीगण की भूमि खाता सं. नया 96 पुराना 81 के खसरा नं. 121, 122, 126 , 127 के लगती हुई है। जिसमें बिना सीमाज्ञान हुए किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा ना करें तथा किसी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण नहीं करें, न ही किसी प्रकार की कोई प्लाटिंग करें इस हेतु प्रतिबंधित रहें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 06 की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया। प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष वकील को सुनाई गयी। साक्ष्यवादी शपथ पत्र भगवानसहाय पुत्र जयनारायण जाति गुर्जर एवं राजेश पुत्र देवनारायण जाति गुर्जर के पेश किये गये। प्रकरण में वादी/प्रतिवादी वकील द्वारा साक्ष्य जिरह नहीं कर सीधे बहस करना चाहते है।प्रकरण में उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। वादीगण वकील ने बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। प्रतिवादीगण वकील द्वारा प्रस्तुत बहस में वादीगण की भूमि खसरा नं. 120, 123, 124, 125,128 लगायत 133 से मिन प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं होना तथा वादीगण अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहता है तो उसमें प्रतिवादीगण का कोई उज्र व एतराज नहीं होना बताया तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 121, 122, 126, 127 है उक्त भूमि से वादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है तथा वादीगण प्रतिवादीगण के कब्जे स्वामित्व की भूमि में निर्माण करने या अन्य उपयोग उपभोग करने में रूकावट पैदा नहीं करने का निवेदन कर वाद को अंतिम डिक्री किये जाने बाबत सहमति प्रकट की गयी एवं इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। वाद पत्र, जवाब दावा एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम नांगवास खाता सं. नया 51 पुराना 43 खसरा नं. 120, 123, 124, 125 के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम नांगवास खाता सं. नया 96 पुराना 81 खसरा नं. 121, 122, 126, 127

Scanned with OKEN Scanner

के प्रतिवादीगण [illegible] है। प्रतिवादीगण [illegible] वादीगण का वाद वादीगण की भूमि खाता सं. 61 की हद तक डिक्री किए जाने में प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नहीं होना अंकित किया है। [illegible] वादीगण की भूमि खाता सं. 61 की हद तक वाद को अंतिम डिक्री किए [illegible] की गयी एवं इस बाबत आवेदिका पर हस्ताक्षर किये गये हैं। [illegible] प्रस्तुत जवाब दावा एवं प्रतिवादीगण वकील द्वारा प्रस्तुत [illegible] के आधार पर वादीगण वाद आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाकर वादीगण की भूमि खाता सं. 61 की हद तक वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित [illegible] है।

अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं वाद पत्र, जवाब दावा एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद स्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाकर वादीगण की भूमि खाता सं. 61 की हद तक वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः आदेश है कि प्रतिवादीगण को उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] किया जाता है कि वे भूमि मुतदाविया ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला टोंक के स्थित भूमि [illegible] सं. नया 61 पुराना 43 के खसरा नं. 120, 123, 124, 125 में बिना [illegible] किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा ना करे। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

[illegible]
[illegible]
[illegible] अधिकारी
[illegible]